

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :-95/2018

निर्णय दिनांक:-23.09.2019

उनवान

1. दयाराम पुत्र श्योराम जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक राज.
2. बद्रीलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक
3. किशनलाल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक
4. कजोड पुत्र भोलू जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक राज.

-वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम उर्फ रमेश पुत्र रुघनाथ जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक
2. सोहनलाल पुत्र रामेदव जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक
3. रामअवतार पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक
4. मंगली पुत्री रुघनाथ जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाइ जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाइ

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:- श्री बद्रीलाल वादी सं. 2 व किशनलाल वादी सं. 3

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:-

यह कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 30 रकबा 12-07 बीघा एवं ख. नं. 32 रकबा 02-03 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 01-15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 01-05 बीघा, ख.नं. 36 रकबा 0-15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 07-08 बीघा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाइ जिला टोंक में स्थित है एवं ख.नं. 2/184 रकबा 01-19 बीघा, ख.नं. 23/192 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/205 रकबा 0-19 बीघा, ख.नं. 26/212 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 26/221 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 28/217 रकबा 0-17 बीघा, ख.नं. 29 रकबा 03-12 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11-02 बीघा एवं ख.नं. 25 रकबा 05-05 बीघा, ख.नं. 25/202 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 25/225 रकबा 07-02 बीघा, ख.नं. 26/215 रकबा 01-02 बीघा, ख.नं. 29/331 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 5 कुयल रकबा 16-06 बीघा एवं ख.नं. 2/183 रकबा 01-16 बीघा, ख.नं. 22/188 रकबा 0-15 बीघा, ख.नं. 22/2 रकबा 03-00 बीघा, ख.नं. 23/3 रकबा 14-00 बीघा, ख.नं. 24/195 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/197 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/200 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 24/4 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/204 रकबा 01-04 बीघा, ख.नं. 26/210 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 28/224 रकबा 01-05 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 26-03 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील निवाइ में स्थित है जिसमें वादीगण अपने हिस्से की भूमि को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है। वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादी का जबरन रास्ता निकालने एवं वादीगण की उक्त भूमि के कुछ हिस्से को हडपने पर आमामादा है। अतः वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की इस अमर की डिक्की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि ख.नं. 30 रकबा 12-07 बीघा एवं ख.नं. 32 रकबा 02-03 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 01-15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 01-05

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx434

उपखण्ड अधिकारी
निवाइ (टोंक)

बीघा, ख.नं. 36 रकबा 0-15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 07-08 बीघा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है एवं ख.नं. 2/184 रकबा 01-19 बीघा, ख.नं. 23/192 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/205 रकबा 0-19 बीघा, ख.नं. 26/212 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 26/221 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 28/217 रकबा 0-17 बीघा, ख.नं. 29 रकबा 03-12 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11-02 बीघा एवं ख.नं. 25 रकबा 05-05 बीघा, ख.नं. 25/202 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 25/225 रकबा 07-02 बीघा, ख.नं. 26/215 रकबा 01-02 बीघा, ख.नं. 29/331 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 5 कुयल रकबा 16-06 बीघा एवं ख.नं. 2/183 रकबा 01-16 बीघा, ख.नं. 22/188 रकबा 0-15 बीघा, ख.नं. 22/2 रकबा 03-00 बीघा, ख.नं. 23/3 रकबा 14-00 बीघा, ख.नं. 24/195 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/197 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/200 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 24/4 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/204 रकबा 01-04 बीघा, ख.नं. 26/210 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 28/224 रकबा 01-05 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 26-03 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील निवाई में खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण जबरन रास्ता नहीं निकालें। वादीगण की भूमि के कुछ भाग व हिस्से को हडपने का प्रयास नहीं करे तथा वादीगण को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने में बाधा, मजाहमत, व्यवधान नहीं करें, प्रतिवादीगण मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें-उसमें परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें प्रतिवादीगण उक्त ऐसा कृत्य स्वयं नहीं करें तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नहीं करवावे तथा पाबन्द रहें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी ने साक्ष्य वादी हेतु PW1 दयाराम, PW2 बद्दीलाल, PW3 कजोड व PW4 किशनलाल के शपथ-पत्र पेश किये। शेष साक्ष्य वादी पेश नहीं कर वादीगण ने सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया।

वादी सं. 2 व 3 की बहस सुनी गयी। उपस्थित वादीगण ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 30 रकबा 12-07 बीघा एवं ख.नं. 32 रकबा 02-03 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 01-15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 01-05 बीघा, ख.नं. 36 रकबा 0-15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 07-08 बीघा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है एवं ख.नं. 2/184 रकबा 01-19 बीघा, ख.नं. 23/192 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/205 रकबा 0-19 बीघा, ख.नं. 26/212 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 26/221 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 28/217 रकबा 0-17 बीघा, ख.नं. 29 रकबा 03-12 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11-02 बीघा एवं ख.नं. 25 रकबा 05-05 बीघा, ख.नं. 25/202 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 25/225 रकबा 07-02 बीघा, ख.नं. 26/215 रकबा 01-02 बीघा, ख.नं. 29/331 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 5 कुयल रकबा 16-06 बीघा एवं ख.नं. 2/183 रकबा 01-16 बीघा, ख.नं. 22/188 रकबा 0-15 बीघा, ख.नं. 22/2 रकबा 03-00 बीघा, ख.नं. 23/3 रकबा 14-00 बीघा, ख.नं. 24/195 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/197 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/200 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 24/4 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/204 रकबा 01-04 बीघा, ख.नं. 26/210 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 28/224 रकबा 01-05 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 26-03 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील निवाई में स्थित है जिसमें वादीगण अपने हिस्से की भूमि को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है। वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादी का दूर जबरन रास्ता निकालने एवं वादीगण की उक्त भूमि के कुछ हिस्से को हडपने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि ख.नं. 30 रकबा 12-07 बीघा एवं ख.नं. 32 रकबा 02-03 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 01-15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 01-05 बीघा, ख.नं. 36 रकबा 0-15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 07-08 बीघा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है एवं ख.नं. 2/184 रकबा 01-19 बीघा, ख.नं. 23/192 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/205 रकबा 0-19 बीघा, ख.नं. 26/212 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 26/221 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 28/217 रकबा 0-17 बीघा, ख.नं. 29 रकबा 03-12 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11-02

बीघा एवं ख.नं. 25 रकबा 05-05 बीघा, ख.नं. 25/202 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 25/225 रकबा 07-02 बीघा, ख.नं. 26/215 रकबा 01-02 बीघा, ख.नं. 29/331 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 5 कुयल रकबा 16-06 बीघा एवं ख.नं. 2/183 रकबा 01-16 बीघा, ख.नं. 22/188 रकबा 0-15 बीघा, ख.नं. 22/2 रकबा 03-00 बीघा, ख.नं. 23/3 रकबा 14-00 बीघा, ख.नं. 24/195 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/197 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/200 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 24/4 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/204 रकबा 01-04 बीघा, ख.नं. 26/210 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 28/224 रकबा 01-05 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 26-03 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील निवाई में खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि में प्रतिवादीगण जबरन रास्ता नहीं निकालें। वादीगण की भूमि के कुछ भाग व हिस्से को हडपने का प्रयास नहीं करे तथा वादीगण को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने में बाधा, मजाहमत, व्यवधान नहीं करें, प्रतिवादीगण मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे उसमें परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें प्रतिवादीगण उक्त ऐसा कृत्य स्वयं नहीं करें तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नहीं करवावे तथा पाबन्द रहें।

वादीगण की एकतरफा बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण की वादवर्णित खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण जबरन बाधा मजाहमत कारित करते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की भूमि ख.नं. 30 रकबा 12-07 बीघा एवं ख.नं. 32 रकबा 02-03 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 01-15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 01-05 बीघा, ख.नं. 36 रकबा 0-15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 07-08 बीघा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है एवं ख.नं. 2/184 रकबा 01-19 बीघा, ख.नं. 23/192 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/205 रकबा 0-19 बीघा, ख.नं. 26/212 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 26/221 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 28/217 रकबा 0-17 बीघा, ख.नं. 29 रकबा 03-12 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11-02 बीघा एवं ख.नं. 25 रकबा 05-05 बीघा, ख.नं. 25/202 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 25/225 रकबा 07-02 बीघा, ख.नं. 26/215 रकबा 01-02 बीघा, ख.नं. 29/331 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 5 कुयल रकबा 16-06 बीघा एवं ख.नं. 2/183 रकबा 01-16 बीघा, ख.नं. 22/188 रकबा 0-15 बीघा, ख.नं. 22/2 रकबा 03-00 बीघा, ख.नं. 23/3 रकबा 14-00 बीघा, ख.नं. 24/195 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/197 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/200 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 24/4 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/204 रकबा 01-04 बीघा, ख.नं. 26/210 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 28/224 रकबा 01-05 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 26-03 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील निवाई में जबरन रास्ता नहीं निकालें। वादीगण की भूमि के कुछ भाग व हिस्से को हडपने का प्रयास नहीं करे तथा वादीगण को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने में बाधा, मजाहमत, व्यवधान नहीं करें, प्रतिवादीगण मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे उसमें परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें प्रतिवादीगण उक्त ऐसा कृत्य स्वयं नहीं करें तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नहीं करवावे तथा पाबन्द रहें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इबतदाई)

उनवान

1. दयाराम पुत्र श्योराम जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. बद्रीलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक
3. किशनलाल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक
4. कजोड पुत्र भोलू जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम उर्फ रमेश पुत्र रुघनाथ जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक
2. सोहनलाल पुत्र रामेदव जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामअवतार पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक
4. मंगली पुत्री रुघनाथ जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा दहलोद की ढाणी तहसील निवाई जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्या:- 95/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री जे.पी.बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बद्रीलाल वादी सं. 2 व किशनलाल वादी सं. 3 मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 30 रकबा 12-07 बीघा एवं ख.नं. 32 रकबा 02-03 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 01-15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 35 रकबा 01-05 बीघा, ख.नं. 36 रकबा 0-15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 07-08 बीघा वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है एवं ख.नं. 2/184 रकबा 01-19 बीघा, ख.नं. 23/192 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/205 रकबा 0-19 बीघा, ख.नं. 26/212 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 26/221 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 28/217 रकबा 0-17 बीघा, ख.नं. 29 रकबा 03-12 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11-02 बीघा एवं ख.नं. 25 रकबा 05-05 बीघा, ख.नं. 25/202 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 25/225 रकबा 07-02 बीघा, ख.नं. 26/215 रकबा 01-02 बीघा, ख.नं. 29/331 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 5 कुयल रकबा 16-06 बीघा एवं ख.नं. 2/183 रकबा 01-16 बीघा, ख.नं. 22/188 रकबा 0-15 बीघा, ख.नं. 22/2 रकबा 03-00 बीघा, ख.नं. 23/3 रकबा 14-00 बीघा, ख.नं. 24/195 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/197 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 24/200 रकबा 01-11 बीघा, ख.नं. 24/4 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 26/204 रकबा 01-04 बीघा, ख.नं. 26/210 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 28/224 रकबा 01-05 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 26-03 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील निवाई में जबरन रास्ता नहीं निकालें। वादीगण की भूमि के कुछ भाग व हिस्से को हडपने का प्रयास नहीं करे तथा वादीगण को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने में बाधा, मजाहमत, व्यक्धान नहीं करें, प्रतिवादीगण मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे उसमें परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें प्रतिवादीगण उक्त ऐसा कृत्य स्वयं नहीं करें तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नहीं करवावे तथा पाबन्द रहें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 09 सन् 2019 को जारी की

गई।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)